न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

राजस्थान राज्य बनाम राहुल

नियमित दाण्डिक प्र.सं. 396/2018

दिनांकः 08.07.2025

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त मफरूर है।

साक्ष्य अभियोजन अन्तर्गत धारा 299 द.प्र.सं. में गत पेशी पर 2 गवाहों के बयान लेखबद्ध किये जा चुके है। आज एक गवाह तलब किया गया था, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ है। प्रकरण में उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी के बयान लेखबद्ध किया जाना इस प्रक्रम पर आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

लिपिक अभियुक्त का स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली के सरवरक पर लाल स्याही से नोट लगाया जावे कि अभियुक्तगण मफरूर होने से पत्रावली का कोई भी भाग जाया नहीं किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर किया जावे।

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)

न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

08/7/25